प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 20 फरवरी,2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अरविन्द सैनी पुत्र श्री श्याम सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-20262/प्रो0अनु0(2)-(बैठक दिनांक-28.06.2024) दिनांक-08-07-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अरविन्द सैनी पुत्र श्री श्याम सिंह, जो आदमपुर मोचडी, थाना-खतौली, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। दिनांक 27-11-2003 को रात में विकास शर्मा वादी के घर गया तथा उनके पुत्र अभिषेक को 10 लाख रूपये वसूलने के इरादे से बुलाकर ले गया। उक्त प्रयोजन में असफल होने एवं अपहृत अभिषेक को शक हो जाने के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर लाश को दो भागों में बांटकर अलग-अलग बोरों में भरकर कस्बा जानसठ के जंगल/खेतो में दबा दिया तथा पुलिस को अलग-अलग स्थानों से अभिषेक का शव बरामद कराया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं0-184/2004 में भा0द0वि0 की धारा-364, 302/34,201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-प्रथम, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 01-02-2007 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश 22-01-2016 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बंदी द्वारा दिनाक 22.03.2024 तक 20 वर्ष, 03 माह, 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष, 03 माह, 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दिनांक 22.03.2024 को बंदी की आयु 36 वर्ष, 09 माह, 19 दिन है।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर बन्दी को कारागार से रिहा किये जाने पर पुन: अपराध का अवसर होने, बन्दी का आगे निरूद्ध रखने सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध किये जाने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने, दोनो पक्षों के मध्य तनाव व्याप्त होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 27-11-2003 को रात में विकास शर्मा वादी के घर गया तथा उनके पुत्र अभिषेक को अपहरण के बदले 10 लाख रूपये वसूलने के इरादे से बुलाकर ले गया। उक्त प्रयोजन में असफल होने एवं अपहृत अभिषेक को शक हो जाने के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर लाश को दो भागों में बांटकर अलग-अलग बोरों में भरकर कस्बा जानसठ के जंगल/खेतो में दबा दिया तथा पुलिस को अलग अलग-2 स्थानों से अभिषेक का शव बरामद कराया गया। बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यापक रूप से समाज को प्रभावित करता है। बन्दी की समयपूर्व रिहाई से दोनो पक्षों के मध्य तनाव व्याप्त होने की सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फनगर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अरविन्द सैनी पुत्र श्री श्याम सिंह को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अरविन्द सैनी (बन्दी संख्या-16843) पुत्र श्री श्याम सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय

मदन मोहन
विशेष सचिव

संख्या-149/2025/1156(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

विनाद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।